श्री दिलीप बोराडे
03-09-2016
को प्रस्तुत।

696/03-09-2016

(67)

पुनरीक्षण प्रकरण कमांकः /2016

प्रस्तुती दिनांकः 02–09–2016

माननीय राजस्व मण्डल मध्य-प्रदेश ग्वालियर
कैंप इन्दौर के समक्ष

निग - 3294 - PBR - 16

श्रीमती शांतादेवी पति स्व. श्री शिवनारायणराव होलकर,
मृतक तर्फे वारिसानः–

1. गजेन्द्रसिंह पिता स्व. श्री शिवनारायणराव होलकर,
   उम्रः वर्ष, धन्धाः व्यापार
   निवासीः 10 माणकबाग रोड, इन्दौर (म.प्र.)

2. संताजीराव पिता स्व. श्री शिवनारायणराव होलकर,
   उम्रः वर्ष, धन्धाः व्यापार
   निवासीः 10 माणकबाग रोड, इन्दौर (म.प्र.)

– – पुनरीक्षणकर्तागण / प्रार्थीगण

विरुध्द

1. हजारीलाल पिता बाबूलाल खाती,
   उम्रः 45 वर्ष, धन्धाः खेती

2. जयराम पिता रामनारायण खाती,
   उम्रः 85 वर्ष, धन्धाः खेती

3. राजाराम पिता रामनारायण खाती,
   उम्रः 82 वर्ष, धन्धाः खेती

4. छगनलाल पिता रामेश्वर खाती,
   उम्रः 33 वर्ष, धन्धाः खेती

5. गिरधारीलाल पिता छोगालाल खाती,
   उम्रः 60 वर्ष, धन्धाः खेती

6. रामगोपाल पिता कन्हैयालाल खाती,
   उम्रः 57 वर्ष, धन्धाः खेती

7. कैलाश पिता कन्हैयालाल खाती,
   उम्रः 54 वर्ष, धन्धाः खेती

8. सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल खाती,
   उम्रः 50 वर्ष, धन्धाः खेती

9. तोलाराम पिता रामनारायण खाती,
   उम्रः 65 वर्ष, धन्धाः खेती

10. रामप्रसाद पिता रामनारायण खाती,
उम्रः 63 वर्ष, धन्धाः खेती

11. सीताराम पिता प्रताप खाती,
उम्रः 50 वर्ष, धन्धाः खेती

— — — प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / प्रत्यार्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 मध्य–प्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत

आलोच्य आदेश का विवरण जिसके विरुध्द यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है:–

यह पुनरीक्षण आदेश दिनांक 15–07–2016 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें की पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थीगण का मूल आवेदन–पत्र के जवाब का अवसर समाप्त किया गया है।

न्यायालय एवं प्रकरण का विवरण जिसके विरुध्द यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है:–

उपरोक्त आदेश दिनांक 15–07–2016 श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, खुडैल क्षैत्र, जिला इन्दौर द्वारा नामांतरण प्रकरण कमांक 125 / अ–6 / 2014–15 (हजारीलाला पिता बाबूलाल एवं अन्य विरुध्द शांतादेवी पति श्री शिवनारायणराव मृतक तर्फे वारिसान एवं अन्य) में पारित किया गया है।

:–: प्रकरण के तथ्य :–:

(1) यह कि, मूल प्रकरण प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / प्रतिप्रार्थीगण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थीगण के विरुध्द ग्राम शिवनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1357, 1361, 1367 एवं 1379 रकबा कमशः 1.097, 1.967, 0.174 एवं 0.084 हैक्टेयर भूमि के संबंध में न्यायालय श्रीमान अपर तहसीलदार महोदय, इन्दौर के समक्ष, मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 109, 110 सहपठित धारा 190 व 32 के तहत दिनांक 26–08–2015 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 11–09–2015 प्रार्थीगण को नोटीस एवं इयतेहार हेतु नियत की गई थी तथा दिनांक 07–10–2015 पुनः प्रार्थीगण को नोटीस हेतु नियत की गई तथा दिनांक 07–10–2015 को पी0ओ0 महो. अवकाश पर होने से पेशी बढाई गई तथा दिनांक 28–10–2015 को प्रार्थीगण को पुनः नोटीस के आदेश दिये गये,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3294–पीबीआर/16 जिला इन्दौर

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–1–2017	आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 15–7–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिकाओं को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये गये हैं, किन्तु आवेदकगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदकगण का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	